

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती महंगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "मेयो इन्स्टीट्यूट आफ

मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी " द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X3)	5	6 (4-5)	7
मेयो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी।	150	9,00,000	13,50,00,000	27,00,000	13,23,00,000	17,64,000

8- इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, मेयो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1764000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3753(1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासैमण्डी चौराहा, लखनऊ।
- ✓ 5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, मेयो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मेंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "राजश्री मेडिकल कालेज,

बरेली " द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X 3)	5	6 (4-5)	7
राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली।	150	9,03,700	13,55,55,000	27,00,000	13,28,55,000	17,71,400

8— इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1771400/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9— उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10— उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

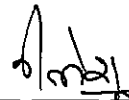
(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3754 (1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, बरेली।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासंमण्डी चौराहा, लखनऊ।
5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छ) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मँहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "हैरिटेज इन्स्टीट्यूट आफ

मेडिकल साइंसेज, वाराणसी " द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	स्वीकृत अर्न्तग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X 3)	5	6 (4-5)	7
हैरीटेज इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।	150	9,84,500	14,76,75,000	27,00,000	14,49,75,000	19,33,000

8- इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, हैरीटेज इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1933000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3756 (1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासैमण्डी चौराहा, लखनऊ।
5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, हैरीटेज इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मेंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेंस शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "के0डी0 मेडिकल कालेज,

मथुरा " द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	स्वीकृत अर्न्तग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X 3)	5	6 (4-5)	7
के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा।	150	9,00,000	13,50,00,000	27,00,000	13,23,00,000	17,64,000

8- इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1764000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3757 (1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासैमण्डी चौराहा, लखनऊ।
5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:-निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मँहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर आँगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर आँगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "जी0सी0आर0 जी0

इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

संस्था का नाम	स्वीकृत अर्न्तग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X 3)	5	6 (4-5)	7
जी0सी0आर0 जी0 इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ।	150	9,00,000	135,000,000	27,00,000	13,23,00,000	17,64,000

8— इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, जी0सी0आर0जी0 इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1764000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9— उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10— उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3758 (1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासैमण्डी चौराहा, लखनऊ।
- ✓ 5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, जी0सी0आर0 जी0 इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:-निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

A02
03/08/16

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मेंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेंस शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "ग्लोकल मेडिकल कालेज

सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सहारनपुर" द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	स्वीकृत अर्न्तग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अर्न्तग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X 3)	5	6 (4-5)	7
ग्लोकल मेडिकल कालेज सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सहारनपुर।	150	9,00,000	135,000,000	27,00,000	13,23,00,000	17,64,000

8- इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, ग्लोकल मेडिकल कालेज सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सहारनपुर द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1764000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3759 (1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासँमण्डी चौराहा, लखनऊ।
- ✓ 5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, ग्लोकल मेडिकल कालेज सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सहारनपुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:-निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

- (एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप
- (दो) उपलब्ध अवसंरचना
- (तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
- (चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय
- (पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
- (छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मेंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रू0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "सरस्वती मेडिकल कालेज,

उन्नाव" द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X 3)	5	6 (4-5)	7
सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।	150	9,00,000	135,000,000	27,00,000	13,23,00,000	17,64,000

8- इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1764000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3760 (1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासँमण्डी चौराहा, लखनऊ।
- ✓ 5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:-निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मेंहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "प्रसाद इन्स्टीट्यूट आफ

मेडिकल साइंसेज, बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ" द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण	फीस समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष कुल फीस	50 प्रतिशत सब्सिडाईज सीट की कुल फीस	स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अवशेष कुल शुल्क	50 % नान सब्सिडाईज सीट की शुल्क (प्रति छात्र)
1	2	3	4 (2X 3)	5	6 (4-5)	7
प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बन्थरा, लखनऊ।	150	9,00,000	135,000,000	27,00,000	132,30,000	17,64,000

8- इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बन्थरा, लखनऊ द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत (75 सीटें) सब्सिडाईज सीटों पर रू0 36000/- प्रति छात्र शुल्क प्रतिवर्ष तथा शेष 50 प्रतिशत (75 सीटें) नान-सब्सिडाईज सीटों पर रू0 1764000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से शुल्क सम्बन्धित संस्थान द्वारा लिया जायेगा।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। विषयगत कालेज उपर्युक्त निर्धारित शुल्क से कम धनराशि लेने के लिए स्वतंत्र है।

10- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3761 (1)/71-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासँमण्डी चौराहा, लखनऊ।
- ✓ 5. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2016

विषय:-निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-2808/16-1-2014-5(डब्ल्यू-48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2- उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3- निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के बिन्दु-"छः" में उल्लिखित अन्य सुसंगत कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेंटल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2015-16 के Audited Balance Sheet आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्तें आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(4) जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(5) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती महंगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 03 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(6) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(7) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2016-17 से निर्धारित किया जा रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगामी 02 वर्षों (कुल 03 वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आयोजित बैठकों में सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठकों में उपस्थित सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- अतः अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आडीटेड बैलेन्स शीट के आधार पर मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2016 में की गयी।

6- शासन की अधिसूचना संख्या-3740/71-2-2016-162/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रु0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाइज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर आँगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाइज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर आँगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

7- निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस के नियतन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार "टी0एस0एम0 मेडिकल